रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 1972/माघ 1, 1893
No. 43] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 1972/MAGHA 1, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)
NOTIFICATION

INCOME TAX AND WEALTH TAX

New Delhi, the 21st January 1972

S.O. 59(E).—The following draft of the notification which the Central Government proposes to issue in pursuance of item (B) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (c) of clause (1) and item (b) of sub-clause (iii) of clause (14) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and sub-clause (b) of clause (iii) of Rule 1 of Paragraph B of the Schedule to the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 31st day of March, 1972.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the said date will be considered by the Central Government.

Draft Notification

In pursuance of item (B) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (c) of clause (1), and item (b) of sub-clause (iii) of clause (14) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and sub-clause (b) of clause (iii) of Rule 1 of Paragraph B of the Schedule to the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government, having regard to the extent of, and scope for, urbanisation of the areas concerned and other relevant considerations, hereby specifies the areas shown in column (3) of the Schedule hereto annexed and falling outside the local limits of the municipality or cantonment board, as the case may

be, shown in the corresponding entry in column (2) thereof, for the purposes of the above mentioned provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

SCHEDULE

Sl No.	Name of the municipality or cantonment board	Details of the area
(1)	(2)	(3)
1.	Ahmedabad	Areas up to a distance of 8 Kms. all directions from the municipal limits.
2.	Baroda	Do.
3.	Surat	Do.
4.	Rajkot	Areas falling within— (*i*) 5 Kms. along Gondal Road upto a distance of 1 Km. on either side of the road. (*ii*) 3 Kms. along Kalawad Road upto a distance of 1 Km. on either side of the road. (*iii*) 2 Kms. along Raiya Road, Jamnagar Road and Surendra Nagar Road upto a distance of 1 Km. on either side of the roads. (*iv*) 1 Km. along Mavdi Road and Nana Mava Road, upto 1 Km. on either side of the road.
5	Yamuna Nagar	Areas upto a distance of 5 Kms. in all directions from the municipal limits.
6	Ambala City	Areas upto a distance of 2 Kms. in all directions from the municipal limits
7	Ambala Cantonment.	Areas upto a distance of 2 Kms. in all directions from the Cantonment limits.
8	Karnal	Areas upto a distance of 5 Kms, in all ditections from the municipal limits.
9	Trivandrum	Areas covered by the Uloor Panchayat comprising Uloor and Cheruvakkal villages.
10	Cochin	Areas covered by the Trikkakkara, Tripunithura, Kulamassery Panchayats.
11	Calicut	Areas falling within Cheruvannur, Feroke, Kadalundi, Beypore, Olavanna, Kunnamangalam and Elathur Panchayats.
12	Madurai	Areas falling within— (i) 1 Km. on either side of the Thirumangalam Road upto a dista ce of 8 Kms. from the corporation limits on that Road. (*ii*) 1 Km. on either side of the Nagamalai-Pudukottai Road upto a distance of 7 Kms. from the Corporation limits on that Road. (*iii*) 1 Km. of either side of the Thuvariman Road upto a distance of 7 Kms. from the Corporation limits on that Road. (*iv*) 1 Km. on either side of the Dindigul Road upto a distance of 8 Kms. from the corporation limits on that Road. (*v*) 1 Km. on either side of Alanganallur Road upto a distance of 5 Kms. from the Corporation limits on that Road. (*vi*) 1 Km. on either side of the Kulamangalam Road upto a distance of 4 Kms. from the Corporation limits on that Road.

(1)	(2)	(3)
		(vii) 1 Km. of either side of the Natham Road upto a distance of 5 Kms. from the corporation limits on that Road. (viii) 1 Km. of either side of the Alagarkoil Road upto distance of 5 Kms. from the Corporation limits on that Road. (ix) 1 Km. on either side of the Melur Road upto a distance of 5 Kms. from the Corporation limit on that Road. (x) 1 Km. on either side of the Sathamangalam Road upto a distance of 6 Kms. from the Corporation limits on that Road. (xi) 1 Km. on either side of the Silaiman Road upto a distance of 2 Kms. from the corporation limits on that Road. (xii) 1 Km. on either side of the Chinthamani Road upto a distance of 2 Kms. from the corporation limits on that Road. (xiii) 1 Km. on either side of the Aruppukottai Road upto a distance of 5 Kms. from the corporation limits on that Road.
13. Salem . . .		Areas falling within the following localities outside the municipal limits :— 1. Alagapuram 2. Ammapettai 3. Annadanapatti 4. Dadagapatti 5. Hasthampatti 6. Meyyanur 7. Pallapatti 8. Reddiyur 9. Suramangalam
14. Tuticorin . . .		Areas falling within the following localities outside the municipal limits:— 1. Melarasadi 2. Pulimaratharasadi 3. Keela Arasadi 4. Paniyur 5. Pudurapandiapuram 6. Kumara Reddiarpuram 7. Kumarigiri 8. Therkuveerapandiapuram 9. Vadakku Silukkanpatti 10. Muthusamipuram 11. Meelavittan 12. Sankaraperi 13. Ramachiyapuram 14. Madathur 15. Subramaniapuram 16. Puducottai 17. Kolangarai 18. Kuttampuli 19. Athimarapatti 20. Muthiapuram 21. Tuticorin Harbour 22. Kulakarisal 23. Sevathirapuram 24. Mullakadu
15. Tiruchirapal . . .		Areas falling within the following villages outside the municipal limits:— 1. Ariyamangalam 2. Varaganeri 3. Alathur 4. Kottapattu

(1)	(2)	(3)
16.	Tirupur . . .	Areas falling within the following villages outside the municipal limits :— 1. Settipalayam 2. 15 Velampalayam 3. Thottipalayam 4. Nerupericha1 5. Muruga npalayamin Veerapandi 6. Kovilvali in Muthanampalayam 7. Vijayapuram & Nallur 8. Parapalayam in Mannarai 9. Andipalayam
17.	Bangalore . . .	Areas falling under 218 villages which have been declared to be "Local Planning Area" under the notification dated 1st November, 1965 issued under section 4A(1) of the Mysore Town and Country Planning Act, 1961 (11 of 1961).
18.	Ludhiana . . .	Areas of revenue estates of the 51 villages specified in the Schedule attached to Notification No 2134-5CIII-60/59104 Sated 1-11-1960 issued under section 1(3) of the Punjab Town Improvement Act, 1922 (4 of 1922).
19.	Amritsar . . .	Areas brought within the provisions of Punjab Town Improvement Act, 1922 (4 of 1922) under Notification dated 5th September, 1961 issued under section (2) of the said act.
20.	Patiala . . .	Areas declared to bed controlled areas under the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Irregular Development Act, 1963 (41 of 1963) under notifications dated 9-10-1964 17-8-1965 and 6-1-1969 issued under section 4(1) of that Act.
21.	Jullundur . . .	Areas declared as controlled areas under section 4 (1) of the Punjab Scheduled Road and Controlled Areas Restriction of Irregular Development Act, 1963 (41 of 1963).
22.	Jammu . .	The areas falling within the following villages outside the municipal limits :— 1. Pargalta 2. Chak Largan 3. Bain Bajial 4. Sedhra 5. Majhin Rangpura 6. Dawara 7. Sunjwan 8. Chouadi 9. Kupar 10. Maghori Jagir 11. Kheri 12. Keran 13. Thather 14. Raipur Domana 15. Gura Brahmanan 16. Chandur 17. Floura Nagbani 18. Ledore 19. Rakh Nagbani 20. Machhlian 21. Gajey Singhpur 22. Sangrampur 23. Poni Chak Wand 24. Brahmna Poni Chak Wand Waziran 25. Trilokpur 26. Kharian 27. Ranjitpur

(1)	(2)	(3)
		28. Kharbuia 29. Sohawora 30. Rukh Gadi Gare 31. Babliana 32. Chak Jallo 33. Chak Ratnoo
23	Bombay.	Areas upto a distance of 8 Kms. in all directions from the limits of the Municipal Corporation of Greater Bombay.

Explanation.—In this notification, "municipality" shall have the same meaning as in sub-clause (ii) (A) of the proviso to clause (1) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

[No. 16/F. No. 131(36)/70-TPL (Part.)]

R. D. SHAH, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

आयकर और धन-कर

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

का० आ० 59(ई).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के, खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के परन्तुक के खण्ड (ii) की मद (ख), और खण्ड (14) के उपखण्ड (iii) की मद (ख), तथा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की अनुसूची के पैरा ख के नियम 1 के खण्ड (iii) के उपखण्ड (ख) के अनुसरण में जारी करने की प्रस्थापना करती है, सभी ऐसे व्यक्तियों की, जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर मार्च, 1972 के 31 वें दिन को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से उक्त तारीख के पूर्व प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के, खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के परन्तुक के खण्ड (ii) की मद (ख), और खण्ड (14) के उपखण्ड (iii) की मद (ख), तथा धनकर अधि नियम, 1957 (1957 का 27) की अनुसूची के पैरा ख के नियम 1 के खण्ड (iii) के उपखण्ड (ख) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सम्पृक्त क्षेत्रों के नगरीकरण, और अन्य सुसंगत विचारों, के परिमाण का, और उनके विस्तार का ध्यान रखते हुए, यथास्थिति, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) में दर्शित और उसके स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में दर्शित नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों को, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) और धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन वर्णित उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

क्रम सं०	नगरपालिका या छावनी बोर्ड का नाम	क्षेत्र का ब्यौरा
(1)	(2)	(3)
1	अहमदाबाद	नागरपालिक सीमाओं से सभी दिशाओं में 8 कि० मी० की दूरी तक के क्षेत्र ।
2	बड़ौदा	नगरपालिक सीमाओं से सभी दिशाओं में 8 कि० मी० की दूरी तक के क्षेत्र ।
3	सूरत	—यथोक्त—
4	राजकोट	निम्नलिखित के भीतर आने वाले क्षेत्र :— (I) गोंडाल रोड के साथ-साथ 5 कि० मी०, उस रोड के दोनों ओर 1 कि० मी० की दूरी तक । (II) कालावाड़ रोड के साथ-साथ 3 कि० मी०, उस रोड के दोनों ओर 1 कि०मी० की दूरी तक । (III) राय्या रोड, जामनगर रोड और सूरेन्द्रनगर रोड के साथ-साथ, उन रोडों के दोनों ओर 1 कि० मी० की दूरी तक । (IV) मावदी रोड और नाना मावा रोड के साथ-साथ 1 कि०मी०, उस रोड के दोनों ओर 1 कि०मी० तक ।
5	यमुना नगर	नगरपालिक सीमाओं से सभी दिशाओं में 5 कि० मी० की दूरी तक के क्षेत्र ।
6	अम्बाला शहर	नगरपालिक सीमाओं से सभी दिशाओं में 2 कि० मी० की दूरी तक के क्षेत्र ।
7	अम्बाला छावनी	छावनी की सीमाओं से सभी दिशाओं में 2 कि०मी० की दूरी तक के क्षेत्र ।
8	करनाल	नगरपालिक सीमाओं से सभी दिशाओं में 5 कि० मी० की दूरी तक के क्षेत्र ।
9	त्रिवेन्द्रम्	उल्लूर और चैरुवक्कल गांवों से मिलकर बनी उल्लूर पंचायत के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।
10	कोचीन	त्रिकाकाड़ा, त्रिपुनिथुरा, कालामस्सेरी पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।
11	कालीकट	चेरुवन्नुर, फिरोकी, कदालुन्दी, बैपोर, ओलावन्ना, कुन्नामंगलम् और एलाथुर पंचायतों के भीतर आने वाले क्षेत्र ।

(1)	(2)	(3)
12	मदुराई	निम्नलिखित के भीतर आने वाले क्षेत्र — (i) तिरुमंगलम रोड के दोनों ओर 1 कि० मी०, उस रोड पर नगर निगम सीमाओं से 8 कि० मी० की दूरी तक। (ii) नागामलाई-पुदुकोट्टाई रोड के दोनों ओर 1 कि० मी०, उस रोड पर नगर निगम सीमाओं से 7 कि० मी० की दूरी तक। (iii) थुवैरीमान रोड के दोनों ओर 1 कि० मी०, उस रोड पर नगर निगम सीमाओं से 7 कि० मी० की दूरी तक। (iv) डिण्डीगुल रोड के दोनों ओर 1 कि० मी०, उस रोड पर नगर निगम सीमाओं से 8 कि० मी० की दूरी तक। (v) अलंगनाल्लूर रोड के दोनों ओर 1 कि० मी०, उस रोड पर नगर निगम सीमाओं से 5 कि० मी० की दूरी तक। (vi) कुलामंगलम रोड के दोनों ओर 1 कि० मी०, उस रोड पर नगर निगम सीमाओं से 4 कि० मी० की दूरी तक। (vii) नाथम रोड के दोनों ओर 1 कि० मी०, उस रोड पर नगर निगम सीमाओं से 5 कि० मी० की दूरी तक। (viii) लागारकैहल रोड के दोनों ओर 1 कि०मी० उस रोड पर नगर निगम सीमाओं से 5 कि० मी० की दूरी तक। (ix) मेलुर रोड के दोनों ओर 1 कि० मी०, उस रोड पर नगर निगम सीमाओं से 5 कि० मी० की दूरी तक। (x) सतमंगलम रोड के दोनों ओर 1 कि० मी०, उस रोड पर नगर निगम सीमाओं से 6 कि० मी० की दूरी तक। (xi) सिलैमान रोड के दोनों ओर 1 कि० मी० उस रोड पर नगर निगम सीमाओं से 2 कि० मी० की दूरी तक। (xii) चिंतामणि रोड के दोनों ओर 1 कि० मी०, उस रोड पर नगर निगम सीमाओं से 2 कि० मी० की दूर तक। (xiii) अरुप्पुकोट्टाई रोड के दोनों ओर 1 कि० मी० उस रोड पर नगर निगम सीमाओं से 5 कि० मी० की दूरी तक।

(1)	(2)	(3)
13	सलेम	नगरपालिका सीमाओं के बाहर निम्नलिखित परिक्षेत्रों के भीतर आने वाले क्षेत्र :— 1. अलगापुरम 2. अम्मापेट्टाई 3. अन्नादानापट्टी 4. दादागापट्टी 5. हस्तमपट्टी 6. मेत्तानूर 7. पल्लापट्टी 8. रेड्डीयूर 9. सुरमंगलम
14	तुतीकोरिन	नगरपालिका सीमाओं के बाहर निम्नलिखित परिक्षेत्रों के भीतर आने वाले क्षेत्र:— 1. मेलारमडी 2. पुलिआमरावतरमडी 3. कोलाआरमडी 4. पणीपुर 5. पुदुरापाण्डियापुरम 6. कुमारा रेड्डियारपुरम 7. कुमारागिरी 8. थेरकूवीरापाण्डियापुरम 9. वाडाक्कू सिलुक्कानपट्टी 10. युयूनानीपुरम 11. मीलावित्तन 12. संकरापेरी 13. रामचियापुरम 14. मादाथुर 15. सुब्रमण्यपुरम 16. पुदुकीट्टाई 17. कोलगराई 18. कुट्टमपल्ली 19. अतिमारापट्टी 20. मुतियापुरम 21. तुतीकोरिन हार्बर 22. कुलायरीताल 23. सेवाथिरापुरम 24. मुल्लावाडु

(1)	(2)	(3)
15	तिरुचिरापल्ली	नगर पालिक सीमाओं के बाहर निम्नलिखित गांवों के भीतर आने वाले क्षेत्र :— 1. आर्यामंगलम 2. बरागनेरी 3. अलाथुर 4. कोट्टापट्टु
16	तिरुपुर	नगर पालिक सीमाओं के बाहर निम्नलिखित गांवों के भीतर आने वाले क्षेत्र :— 1. सेट्टीपलायम 2. 15 वेलाम्पलायम 3. थोट्टीपलायम 4. नेरूपेरिचाल 5. वीरापण्डी में मुरुगामलायम 6. पुथनांपलायम में कोविलवाली 7. विजयापुरम और नाल्लूर 8. मन्नारई में परापलायम 9. अण्डीपलायम
17	बंगलौर . .	ऐसे 218 गांवों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र जो मैसूर टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग ऐक्ट, 1961 (1961 का 11) की धारा 4क (1) के अधीन जारी की गई तारीख 1 नवम्बर, 1965 की अधिसूचना के अधीन "स्थानीय योजना क्षेत्र" घोषित किए गए हैं।
18.	लुधियाना . .	पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1922 (1922 का 4) की धारा 1 (3) के अधीन जारी की गई तारीख 1-11-1960 की अधिसूचना सं० 2134-5H III 60/59104 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 51 गांवों की राजस्व सम्पदाओं के क्षेत्र।
19	अमृतसर	पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1922 (1922 का 4) की धारा 1 (3) के अधीन जारी की गई तारीख 5 सितम्बर, 1961 की अधिसूचना के अधीन उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र।
20	पटियाला : .	ऐसे क्षेत्र, जिन्हें पंजाब शेड्यूल्ड रोड्स एण्ड कण्ट्रोल्ड एरियाज रैस्ट्रिक्शन आफ इरेग्यूलर डेवलपमेंट ऐक्ट, 1963 (1963 का 41) की धारा 4(1) के अधीन जारी की गई तारीख 9-10-1964, 17-8-1965 और 6-1-1969 की अधिसूचनाओं के अधीन उस अधिनियम के अधीन नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है।

(1)	(2)	(3)
21	जालंधर . .	ऐसे क्षेत्र, जो पंजाब शेड्यूल्ड रोड्स एण्ड कण्ट्रोल्ड एरियाज रैस्ट्रिक्शन आफ इरेग्युलर डेवलपमेंट ऐक्ट, 1963 (1963 का 41) की धारा 4(1) के अधीन निर्बंधित क्षेत्र घोषित किए गए हैं ।
22	जम्मू . .	नगरपालिक सीमाओं के बाहर निम्नलिखित गांवों के भीतर आने वाले क्षेत्र :—
		1. परगाल्टा
		2. चाक लारगान
		3. बै ा बाजिमाल
		4. सेघरा
		5. माझी रंगपुरा
		6. डावरा
		7. सुजवान
		8. चावड़ी
		9. कूपर
		10. मधोरी जागीर
		11. खेड़ी
		12. किरन
		13. थाथेर
		14. रायपुर दोमाना
		15. गुर ब्राह्मणन
		16. चन्दूर
		17. फलीरा नागबानी
		18. ल डोर
		19. राख नागबानी
		20. मछलीयन
		21. गांजी सिंघपुर
		22. संग्रामपुर
		23. पोनी चाक कण्ड
		24. ब्राह्मण पोनी चाक कण्ड वजीरन
		25. त्रिलोकपुर
		26. खरिआन
		27. रंजीतपुर
		28. खरबूजा
		29. सोहावोरा
		30. राख गाडी मारे
		31. बाब्लआना

(1)	(2)	(3)
		32. चाक जालो 33. चाक रत्नू
23	मुम्बई	बृहत्तर मुम्बई नगर निगम की सीमाओं से सभी दिशाओं में 8 कि० मी० की दूरी तक के क्षेत्र।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना में, "नगरपालिका" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (1) के परन्तुक के उपखण्ड (ii) (क) में उसका है।

[सं० 16/एफ सं० 131 (36)/70—टीपीएल (पी टी)]

आर० डी० शाह, अपर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972